महत्वपूर्ण एवं खास

जिले में 382.5 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 19 जुलाई तक 382.5 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 7.3 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 460.7 मिली मीटर, पुसौर में 507.7, खरसिया में 351.8, सारंगढ़ में 571.3, बरमकेला में 394.1, घरघोड़ा में 318.4, तमनार में 446.2, लैलूंगा में 306.2, धरमजयगढ़ में 269.1, सरिया 281.3 एवं छाल तहसील में 300.5 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

सीबीआई जांच मामला, जुर्म दर्ज की मांग

महासमुंद (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ गाड़ीवान हमाल रेजा मजदूर महासंघ के बैनर तले संघ के कर्मियों ने आज यहां पटवारी कार्यालय के समक्ष परिवार समेत एक दिवसीय धरना दिया। संघ की मांग है कि सीबीआई ने संघ के मामले की जांच में करीब तीन लोगों को आरोपी बनाया है जिनके खिलाफ लिखित शिकायत के बाद भी जुर्म दर्ज नहीं किया जा रहा है। संघ के जिलाध्यक्ष विकास कुमार का कहना है कि आरोपियों द्वारा उन्हें जान की धमकी दी जा रही है। आरोपियों ने दबाव बनाकर उनका राशन भी बंद करा दिया है जिससे उनके परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के बाद भी पुलिस द्वारा मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। धरने में बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।

8 लाख की कार से 9 किलो गांजा बरामद, 4 गिरफ्तार

महासमुंद (आरएनएस)। ओड़िशा से गांजा लेकर बलौदाबाजार जा रही कार सवार चार लोगों से पुलिस ने 9 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक एक्ट 20 (बी) के तहत कार्रवाई की है। मामला बसना थाना क्षेत्र के पदमपुर रोड राम जानकी मंदिर के पास की है। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओड़िशा की ओर से आ रही जायलो क्रमांक सीजी 22 एबी 0292 में कुछ लोग गांजा लेकर आ रहे हैं। पुलिस ने सूचना पर पदमपुर रोड स्थित राम जानकी मंदिर के पास घेराबंदी की और उक्त कार को रोक लिया और कार की जांच की। इस दौरान कार में सवार बलौदाबाजार सरसींवा निवासी जावेद खान (26), सत्यपाल चौहान (22), हलधर साहू (27) और हरी साहू के पास से 9 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने आरोपियों से 1.80 लाख रुपए का गांजा, 8 लाख रुपए कीमत की कार और 15 हजार रुपए कीमत का 4 नग मोबाइल जब्त किया।

वर्मी कम्पोस्ट यूनिट लगाने के नाम पर लाखों की ठगी,दो गिरफ्तार

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में वर्मी कम्पोस्ट की यूनिट लगाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामनें आया है। ठगों ने खुद को सरकारी प्रशिक्षण केंद्र का डायरेक्टर और संयोजक बताया और किश्तों में वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगवाने के नाम पर महिला समूह से 5 लाख रुपए ठग लिए गए। इसके बाद जब महिलाओं को ट्रेनिंग नहीं मिली और दोनों शातिर गायब हो गए तो मामला खुला। पुलिस ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला मरवाही थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम भर्रीडांड के महिला स्वयं सहायता समूह ग्राम सखी से दो लोगों ने संपर्क किया। संपर्क करने वाले रमेश कुमार लाल ने खुद को वर्मी कंपोस्ट प्रशिक्षण केंद्र कार्यालय का डायरेक्टर बताया। साथ ही अपने साथी डीडी बैरागी को केंद्र के संयोजक के रूप में परिचय कराया। दोनों आरोपियों ने स्व सहायता समूह को झांसा दिया कि वे ब्लॉक के गांवों में महिलाओं को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की ट्रेनिंग देंगे।

संयुक्त खाते की भूमि से खाद के लिए ऋण निकालने में आपत्ति पर चचेरे भाई की हत्या, दोनों भाई गिरफ्तार

❒ हत्या को आत्महत्या का रूप देने शव को काजू पेड़ में गमछे से लटकाए, पुसौर पुलिस सारे सबूत समेत आरोपियों को किया गिरफ्तार

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन तथा एडिशनल एसपी लखन पटेल एवं सुपरविजन अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के सतत सुपर विजन में पुसौर पुलिस द्वारा ग्राम लोहाखान में काजूबाड़ी पर मिले अधेड़ व्यक्ति के शव की जांच पर हत्या कारित करने वाले दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। मृतक की पत्नी उसके चाचा ससुर के दो लड़कों पर हत्या का संदेह कर प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर पुसौर थाना प्रभारी उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा गवाहों के बयान, घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन कर दोनों आरोपी शिवा भोय पिता बाना भोय (40 साल), जितेन्द्र भोय पिता बाना भोय (30 साल) को हिरासत में लिया गया। दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ में दोनों उसके चचेरे भाई उदेराम भोय पिता दौलत (50 साल) की हत्या करना कबूल किया गया है। दोनों अपने स्वीकारोति बयान में बताये कि उनका सम्मिलाती खाते की भूमि से खाद के लिये ऋण निकालने की बात उदेराम से बोले थे जिस पर उदेराम सहमत नहीं था। दोनों उदेराम को उसके घर पर ही जान से मारने की धमकी दिये थे, जिसे उदेराम की पत्नी भी सुनी थी। दिनांक 15.07.2022 के शाम उदेराम घर से तालाब की ओर निकला था जिसे अकेले देखकर पास के खेत में ले जाकर मारपीट कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दिये, शव उसी खेत में पड़ा रहा। दूसरे दिन दोनों एक वायर को शव के गले में बांध कर खींचते काजू बाड़ी लेकर गये, जहां एक गमछे से शव को काजू पेड़ से लटकाकर वापस घर आ गये। आरोपियों के मेमोरेण्डम पर घटना समय पहने आरोपियों के कपड़ो तथा मौके पर एक वायर जप्त किया गया है। दोनों आरोपियों को आज हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर सम्पूर्ण जांच कार्यवाही में थाना प्रभारी पुसौर उप निरीक्षक गिरधारी साव, सहायक उप निरीक्षक मनमोहन बैरागी तथा पुसौर पुलिस की सराहनीय भूमिका रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण - दिनांक 17.07.2022 को थाना पुसौर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोहाखान में काजूबाड़ी में गांव के उदेराम भोय पिता स्व. दौलत राम उम्र 50 साल साकिन लोहाखान का शव फांसी पर लटका हुआ मिला। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी कनक भोय बताई कि इसके ससुर लोग तीन भाई थे। ससुर दौलतराम सबसे बड़े थे। उनके बाद काका ससुर बाना भोय तथा छोटे काका ससुर दयानिधि भोय है। सभी लोग अलग-अलग कमाते खाते है। खेती जमीन का ऋण पुस्तिका सामिलाती खाता में है। पति उदेराम भोय उन्हें कई बार खाता अलग अलग करने के लिये काका ससुर बाना भोय का बेटा शिवा एवं जितेन्द्र को बोले किंतु उनके द्वारा खाता विभाजन नहीं किया गया। जिससे सोसायटी से खाद लेने एवं धान बिक्री करने में परेशानी होती थी। पूर्वजों का करीबन 20 एकड खेती सामिलाती खाता में है जिसमें से करीबन 05 एकड़ बिक्री हो गया है। 02 एकड़ खेत को कमाते खाते है, 02 एकड़ दयानिधि कमाता खाता है शेष भूमि पर शिवा भोय अपने भाई जितेन्द्र एवं विद्याधर के साथ मिलकर खेती करता है, पूरा फसल रखता है। लेकिन बैक से केसीसी लेने एवं खाद निकालने पर हम लोगों को भी पूरा हिस्सा मांगता है। वर्तमान में भी करीब 08 दिन पहले शाम करीबन 4-5 बजे शिवा एवं जितेन्द्र भोय घर आकर पति को सोसायटी से खाद निकालने को बोले तब पति उदेराम भोय द्वारा यह कहा गया कि तुम लोग ज्यादा खाद निकालते हो और हम लोगों को धान बिक्री के समय ज्यादा हिस्सा देना पड़ता है आप लोगों को खाद की जरूरत है तो आप लोग बाहर से खाद ले लो, मैं सोसायटी से खाद नहीं निकालूंगा तब शिवा एवं जितेन्द्र पति को बोले कि तुम खाद नहीं निकालोगे तो तुम्हें जान से मार देगें किसी को पता नहीं चलेगा और तुम्हारा नाम ऋणपुस्तिका से कट जायेगा। उसके बाद केसीसी लोन लेने तथा खाद निकालने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी कि दिनांक 15.07.2022 के शाम करीबन 05 बजे पति उदेराम भोय तालाब तरफ जाने के लिये निकले थे जो देर रात तक घर वापस नहीं पहुंचे। तब उनका पता तलाश किये नहीं मिले। दूसरे दिन भी बेटा के साथ खोज किये पता नहीं चला। रविवार दिनांक 17.07.22 को सुबह 7-8 बजे बेटा सरोज पता तलाश करने के लिये घर से निकला और आकर बताया कि पिताजी का शव काजू बाडी में फांसी पर लटका हुआ है कि ग्राम लोहाखान के शिवा भोय एवं जितेन्द्र भोय के द्वारा मिलकर केसीसी लोन लेने, खाद निकालने एवं जमीन का खाता अलग करने की विवाद को लेकर पति उदेराम को मारकर हत्या कर दिये एवं लाश को काजू बाड़ी में फांसी का फंदा बनाकर टांग दिये हैं, रिपोर्ट पर दोनों आरोपियों पर धारा 302,34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपी शिवा भोय और जितेन्द्र भोय को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

चिटफंड मामले के वारंटी को पुसौर पुलिस ने एमपी के शहडोल से गिरफ्तार कर लाया रायगढ़

❒ विशेष न्यायालय में किया गया पेश

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन तथा एडिशनल एसपी लखन पटले एवं सुपरविजन अधिकारी एडिशनल एसपी (ट्रैफिक) माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन में पुसौर पुलिस द्वारा थाना पुसौर के अपराध क्रमांक 78/2016 धारा 420 IPC छ.ग. के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण की धारा 4, शासन विरुद्ध परीक्षित पटेल वगैरह में आरोपी धीरेंद्र सिंह बघेल पिता कृष्ण प्रताप सिंह बघेल निवासी सामरपखा तहसील जयसिंह नगर, जिला शहडोल (MP) के विरुद्ध विशेष न्यायालय रायगढ़ द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। वारंट के परिपालन में थाना प्रभारी पुसौर उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से दिगर राज्य जाने की अनुमति प्राप्त कर थाने से सहायक उपनिरीक्षक क्षितेश्वर गुप्ता, आरक्षक दिलीप सिदार को मध्य प्रदेश रवाना किया गया। पुसौर पुलिस शहडोल जाकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से वारंटी को हिरासत में लेकर सुरक्षा पूर्वक रायगढ़ लाया गया जिसे आज विशेष न्यायालय रायगढ़ में पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के निर्देशन पर अभियान चलाकर सभी थानाक्षेत्र अंतर्गत वारंटों की तामिली की जा रही है, शहडोल से लाये गये वारंटी के साथ ही पुसौर पुलिस एक अन्य वारंटी मिनकेतन महाणा पिता ललित महाणा उम्र 31 साल निवासी कोलतापारा पुसौर का गिरफ्तारी वारंट तामिल कर न्यायालय पेश किया गया है, वारंटी मिनकेतन महाणा के विरूद्ध JMFC रायगढ़ द्वारा मारपीट मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

बच्चों की भाषाई एवं गणितीय दक्षता विकास हेतु विकासखंड स्तरीय ईजीएल प्रशिक्षण का हुआ शुभारंभ

❒ रायगढ़, खरसिया व तमनार विकासखंड के 525 विद्यालयों के कक्षा पहली और दूसरी के नौनिहालों को मिलेगा इसका सीधा लाभ

❒ जिले के तीनों ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है ईजीएल कार्यक्रम

रायगढ़। जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहे अर्ली ग्रेड लिटरेसी का पहला फेज समाप्त होने के बाद दूसरा फेज प्रारंभ हो चुका है। इसी तारतम्य में अर्ली ग्रेड लिट्रेसी (ईजीएल) प्रशिक्षण के विकासखंड स्तरीय चरण का आज शुभारंभ हुआ। विदित हो कि जिले के तीन विकासखंड रायगढ़, खरसिया एवं तमनार में कक्षा पहली एवं दूसरी में अध्ययनरत विद्यार्थियों के भाषायी एवं गणितीय दक्षता उन्नत करने के लिए जिला प्रशासन, यूनिसेफ एवं रूम टू रीड के सहयोग से संचालित यह विकासखंड स्तरीय तीन दिवसीय ईजीएल प्रशिक्षण 19 जुलाई से 21 जुलाई 2022 तक चलेगा। उक्त विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्राथमिक शाला के शिक्षकों को कक्षा पहली, दूसरी में अध्ययन करने वाले बच्चों के भाषायी दक्षता विकसित करने, भाषा से संबंधित वर्णो को पहचानने, वर्णो को जोड़कर शब्द बनाने एवं शब्द का अर्थ समझने की प्रक्रिया को बड़े ही सरल तरीके से बताया जा रहा है तथा गणितीय दक्षता विकसित करने हेतु अंकों की पहचान कर उनके व्यवहारिक उपयोग करने के सरल तरीकों को आकर्षक रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि उक्त विकासखंड स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण के लिए रायगढ़ विकासखंड में 5 प्रशिक्षण केन्द्र, खरसिया में 4 तथा तमनार विकास खंड में 3 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। जहां मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्राथमिक शाला के ईजीएल प्रभारी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विदित हो कि विकासखंड स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण के पश्चात जब शिक्षक अपने-अपने विद्यालयों में पहुंचेंगे तो इन तीनों विकास खंडों के लगभग 525 विद्यालयों के कक्षा पहली एवं दूसरी में पढने वाले नौनिहालों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। विगत दिनों शासकीय नटवर उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में यूनिसेफ एवं रूम टू रीड के राज्य प्रशिक्षक एवं तीनों विकासखड के चयनित मास्टर ट्रेनर्स को इस हेतु पूर्व में प्रशिक्षण दिया गया था जिसमें डीईओ एवं डीएमसी तथा कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी एवं जिले के सभी विकासखंड स्त्रोत समन्वयक एवं सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी उपस्थित हुए थे।

दहेज मृत्यु के आरोपी पिता-पुत्र को पुलिस ने अंबिकापुर से किया गिरफ्तार

❒ विवाहिता ने शादी के एक साल के भीतर ससुरालवालों की प्रताड़ना से दो बार की थी सुसाइड अटेम्प्ट

❒ नवविवाहिता के संदिग्ध मौत पर उसके पति, सास- ससुर, ननंद-नंदोई पर दर्ज किया था दहेज हत्या का अपराध

रायगढ़। सीएसपी रायगढ़ दीपक मिश्रा के हमराह पुलिस चौकी जुटमिल की टीम दहेज हत्या के आरोपी पिता-पुत्र को अम्बिकापुर में दबिश देकर पकड़ा गया है। घटना के बाद गिरफ्तारी से बचने दोनों आरोपी कोरबा और अम्बिकापुर में लगातार अपना स्थान बदलकर लुक-छिप कर रह रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिये रायगढ़ सीएसपी दीपक मिश्रा अम्बिकापुर और कोरबा में मुखबिर लगाकर रखा गया था, आज सूचना पर दोनों आरोपी भुवनेश्वर बरेठ (32 साल), प्रेमलाल बरेठ (55 साल) को अम्बिकापुर से हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया गया जिन्हें आज न्यायिक रिमांड पर सीजेएम रायगढ़ कोर्ट में पेश किया गया है। मामले की विवेचना नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं किया जा रहा है।

मामले का संक्षिप्त विवरण -

मृतिका ममता बरेठ पति भुवनेश्वर बरेठ उम्र 24 साल निवासी पटेलपाली चौकी जूटमिल जिला रायगढ़ के संदिग्ध मृत्यु की जांच पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतिका ममता बरेठ निवासी बुदेली थाना सारंगढ की शादी पटेलपाली चौकी जूटमिल के भुवनेश्वर बरेठ के साथ दिनांक 27.02.2020 को सामाजिक रीति-रिवाज से हुई थी। विवाह में यथासंभव मृतिका के परिजनों के द्वारा स्त्रीधन के रूप में दान दहेज दिया गया था। मृतिका के पति द्वारा विवाह के पूर्व से ही मृतिका के परिजनों को फोन कर दहेज में मोटर सायकल लाने की बात कहता था। विवाह के बाद आरोपी पति भुवनेश्वर बरेठ मृतिका को मोटर सायकल नहीं लाने पर प्रताडित कर मारपीट करने लगा। मृतिका के सास, ससुर भी आरोपी पति का साथ देने लगे। आरोपीगण मृतिका को उसके मायके जाने से भी मना करते थे। मृतिका के साथ मारपीट करने पर मृतिका के मायके पक्ष के लोग मृतिका के ससुराल आकर आरोपीगणों को समझाये भी थे, आरोपीगण माफी भी मगे थे। पीड़िता के ससुरालवाले उनकी बेटी कमला और दामाद उत्तम की बात मानते थे, उन्ही के कहने पर पीड़िता को मायके जाने से रोकते थे और दोनों जब भी आते थे, पीड़िता को ताना मारकर प्रातडित करते थे, पूर्व मे भी पीड़िता आरोपियों के प्रताडना से तंग आकर फांसी लगाने का प्रयास भी की थी। दिनांक 12.06.2021 को पीड़िता को संदिग्ध परिस्थितियों में आग से जलने से गंभीर अवस्था मे जिंदल अस्पताल पतरापाली भर्ती कराया गया था, जिसका दिनांक 27.06.2021 को ईलाज के दौरान मृत्यु हो गया। मृतिका के मृत समीक्षा कार्यवाही उपरांत पीएम कराया गया, मरणासन्न कथन भी लिया गया था। मृतिका की मृत्यु संदिग्ध परीस्थितियों में विवाह के 01 वर्ष के भीतर जलने से होना पाया गया, गवाहों के कथन, घटनास्थल के निरीक्षण, परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर मर्ग की जांच पर मृतिका की मृत्यु मृतिका के पति एवं परिजनों द्वारा दहेज की मांग कर क्रूरता करना पाये जाने पर धारा 304(ब), 34 भादवि का अपराध दिनांक 27/11/2021 को चौकी जूटमिल, थाना कोतवाली में तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा दर्ज किया गया था।

जांच में विवाहिता के पति, सास – ससुर, ननंद-नंदोई को आरोपी बनाया गया। आरोपिया मृतिका की सास सकीना बरेठ, ननंद कमला बरेठ, नंदोई उत्तम कुमार बरेठ हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत पर हैं, आरोपी मृतिका का पति भुवनेश्वर बरेठ और उसका ससुर प्रेमलाल बरेठ फरार थे, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सीएसपी रायगढ़ दीपक मिश्रा के साथ कार्रवाई में चौकी जूटमिल के सहायक उपनिरीक्षक विजय गोपाल, नरेन्द्र सिदार, आरक्षक हेमंत चन्द्रा की अहम भूमिका रही है।

एक ही दिन 32 गिरफ्तारी और 3 स्थायी वारंट तामिल

❒ सबसे अधिक घरघोड़ा पुलिस की 15 गिरफ्तारी वारंट तामिल

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरफ्तारी व स्थाई वारंटी की तामिली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल दिनांक 18/07/2022 को 32 गिरफ्तारी तथा 3 स्थाई वारंट तामील कर वारंटियों को न्यायालय पेश किया गया। वारंट तामिली अभियान में घरघोड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण मिंज के नेतृत्व में 15 गिरफ्तारी वारंट तथा 3 स्थाई वारंट तामील किए गए। सारंगढ़ पुलिस द्वारा 8 गिरफ्तारी गिरफ्तारी वारंट की तामिली की गई है। वहीं गत दिनों बरमकेला पुलिस द्वारा 8 गिरफ्तारी वारंट तामील कर न्यायालय पेश किया गया है।

एडिशनल एसपी लखन पटले बताये कि न्यायालय से प्राप्त समंस, वारंट की तामिली समय पर तामिल कर न्यायालय वापस किया जाना आवश्यक है। थाना, चौकी प्रभारियों को इस कार्य में विशेष ध्यान देने निर्देशित किया गया है। गत दिनों एसपी मीणा द्वारा प्रभारियों को फरार वारंटियों की पतासाजी के निर्देश दिये गये हैं, इस क्रम में कार्यवाही किया जा रहा है जो आगे भी जारी रहेगा।

नाबालिगों के गुम होने के महज कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस ने खोजकर किया गया परिजनों के सुपुर्द

❒ घर से 20 किलोमीटर दूर बरगढ़ मेला देखने निकले थे दोनों बालक, सरवानी के पास मिले

रायगढ़। चौकी प्रभारी खरसिया अपने स्टाफ को रात्रि गश्त तथा प्रथम सावन सोमवार को देखते हुए शिव मंदिरों में व्यवस्था हेतु ड्यूटी लगाया जा रहा था। इसी दरमियान चंदन तालाब पार खरसिया में रहने वाली महिला बबीता निषाद पति छोटेलाल उम्र 30 वर्ष मोहल्ले के एक बालक के साथ चौकी आकर बताई कि उसका लड़का अभय केंवट (उम्र 10 साल) और मोहल्ले का राहुल चौहान उर्फ कोंदा (उम्र 8 साल) शाम से घर, मोहल्ले में नहीं दिख रहे हैं। महिला बताई कि राहुल और अभय के साथ उनके हमउम्र का एक और बालक साथ था जो उन्हें किसी व्यक्ति द्वारा गुपचुप खिलाने साथ ले जाना बताया। इस बात की जानकारी पर पूरा स्टाफ सख्ते में आ गए। चौकी प्रभारी खरसिया उपनिरीक्षक नंद किशोर गौतम, चौकी में उपस्थित सारे स्टाफ को गुम बालकों की पतासाजी में लगाए। चौकी से 4 प्रधान आरक्षकों को अलग-अलग दिशाओं में रवाना किया गया। करीब 1 घंटे के भीतर रात्रि करीब 1:00 बजे दोनों बालक खरसिया से 20 km दूर ग्राम सरवानी के पास पुलिस टीम को मिले। बालकों को चौकी लाया गया जो बताए कि स्थानीय बरगढ़ मेला देखने दोनों शाम को साथ निकले, थोड़ी दूर तक उन्हें लिफ्ट मिला फिर पैदल बरगढ़ गए थे। बालकों को चौकी प्रभारी खरसिया समझाये कि बगैर परिजनों को बताएं कहीं नहीं जायें और बालकों को परिजनों के सुपुर्द किये। बच्चों के मिल जाने से परिजन राहत की सांस लिए और पूरे खरसिया चौकी स्टाफ को साधुवाद दिए। मामले में किसी प्रकार का अपराध का घटित होना नहीं पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना से बेटियों की पढ़ाई की राह हुई आसान, जिले में 86 श्रमिकों को मिला योजना का लाभ

रायगढ़। शासन द्वारा श्रमिक वर्ग के लाभ के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। जिसमें से एक मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना है। योजनान्तर्गत आर्थिक रुप से कमजोर श्रमिक वर्ग, जिनकी बेटियां 18 वर्ष से 21वर्ष एवं 10 वी पास हो चुकी है, उन बेटियों के लिए यह योजना कॉलेज की पढ़ाई के राह आसान कर रही है, इसके अलावा इस योजाना से प्राप्त राशि का उपयोग बेटियों के पढ़ाई के साथ रोजगार एवं विवाह आदि में उपयोग किया जा सकता है। योजनान्तर्गत श्रमिक परिवार की दो बेटियों को योजना का लाभ मिलेगा।

शासन द्वारा श्रमिक परिवारों के उन्नयन हेतु विशेष सहायता प्रदान कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता व सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराकर उन्हे बेहतर जीवन प्रदान कर रही है। इसी क्रम में शासन द्वारा श्रमिकों की बेटियों की भविष्य को देखते हुए पढ़ाई या स्वरोजगार की आर्थिक मदद के लिए प्रारंभ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना ने आज जिले की कई बेटियां कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। उनके परिजनों का कहना है इन पैसे से उनकी बेटियों की पढ़ाई में मदद मिल रही है।

आज रायगढ़ जिले में कुल 86 बेटियों को 17 लाख 20 हजार की सहायता राशि बेटियों को वितरित की गई है। सारंगढ़ के ग्राम चिखली निवासी हरिराम पटेल कहते है कि मेरी पुत्री रजनी पटेल कक्षा 12 उत्तीर्ण हो चुकी है। योजनान्तर्गत आवेदन करने के पश्चात उनके खाते में राशि आ चुकी है। शासन द्वारा प्राप्त राशि से अब आगे की पढ़ाई में आसानी होगी। शासन की मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना बेटियों के लिए वरदान है। गीता बाई चौहान कहती है कि मेरी पुत्री कॉलेज प्रारंभ कर चुकी है। उसे हम अपने पैसे से पढ़ा रहे है। शासन से मिली राशि को संचय करके रखे है, जिसका उपयोग उसकी शादी के लिए करेंगे।

जिले में आए इतने आवेदन

मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना योजनान्तर्गत जिले भर से लगभग 720 आवेदन प्राप्त हुए। जिनका वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफिकेशन के पश्चात पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज एवं अहर्ता- योजना के लिए हितग्राही की उम्र 18 से 21 व अविवाहित, लेबर कार्ड नहीं होनी चाहिए, जन्म-प्रमाण पत्र, 10वीं पास एवं, मार्कशीट, आधार कार्ड, पास बुक, माता-पिता का पंजीयन कार्ड एवं घोषणा पत्र जैसे दस्तावेज की आवश्कता होती है। यह पूर्ण रूप से ऑनलाइन प्रक्रिया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480